



राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाड़ा (करनाल)

(कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से सम्बंधित)

ईमेल:- gcwpadhainformation@gmail.com

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

Code of Conduct for Students

1. Students have to wear their ID cards in the college campus.

महाविद्यालय परिसर में छात्रों को अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा।

2. Students have to maintain discipline in the campus.

छात्रों को परिसर में अनुशासन बनाए रखना होगा।

3. Students must be punctual and regular in attending classes.

छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए समयनिष्ठ और नियमित होना चाहिए।

4. Minimum 75% attendance is compulsory for every student in each semester.

प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

5. Any students remaining absent for a continuous period of 6 working days without any prior notice and having less than 50% attendance per month will be eligible for removal of her name from the college roster and subsequent cancellation of admission. A one time opportunity shall be provided to such a students for obtaining re- admission upon payment of 500 fine.

बिना किसी पूर्व सूचना के 6 कार्य दिवसों की लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहने वाली और प्रति माह 50% से कम उपस्थिति वाली कोई भी छात्रा कॉलेज रॉस्टर से अपना नाम हटाने और बाद में प्रवेश रद्द करने के लिए पात्र होगी। ऐसे छात्रों को 500 रुपये के जुर्माने के भुगतान पर पुनः प्रवेश प्राप्त करने का केवल एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा।

6. Mobile phones are strictly banned during the class and in the corridors. (Phone should be in switch off mode)

कक्षा के दौरान और गलियारों में मोबाइल फोन सख्ती से प्रतिबंधित हैं। (फोन स्विच ऑफ मोड में होना चाहिए)

7. Only students with valid license are allowed to bring their vehicles in the college.

केवल वैध लाइसेंस वाले छात्रों को ही कॉलेज में अपने वाहन लाने की अनुमति है।

8. Students once entered the campus are only allowed to leave at 1:00 pm, in case of any emergency permission from authorities and parents consent will be necessary.

छात्रों को एक बार परिसर में प्रवेश करने के बाद केवल दोपहर 1:00 बजे छोड़ने की अनुमति दी जाती है, किसी भी आपात स्थिति में अधिकारियों और माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।